



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/336

विवि.एमसीएस.आरईसी.सं.255/01-01-040/2025-26

नवंबर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण)

निदेश, 2025

विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक	2
अध्याय II – संस्थागत ढांचा.....	3
ए. बोर्ड की भूमिका.....	3
अध्याय III – जिम्मेदार ऋण आचरण	4
ए. उचित व्यवहार संहिता	4
बी. ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार	7
सी. ऋण पर पूर्व-भुगतान प्रभार	9
डी. वसूली एजेंटों को नियुक्त करने वाले एआईएफआई की जिम्मेदारियां.....	10
अध्याय IV – विविध निर्देश	11
ए. प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2024 का 289) और अमर जैन बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2025 का 49) के मामले में 30 अप्रैल, 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन	11
अध्याय V – निरसन और अन्य प्रावधान	12
ए. निरसन और संरक्षण	12
बी. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं.....	12
सी. व्याख्याएं.....	13



भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाता है) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों / कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, ये निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे, जब तक कि कुछ और न उल्लेख किया जाए।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'एआईएफआईस' और व्यक्तिगत रूप से 'एआईएफआई' कहा जाएगा) पर लागू होंगे, जैसे भारतीय निर्यात आयात बैंक ('एक्जिम बैंक'), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('नाबार्ड'), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ('सिडबी'), राष्ट्रीय आवास बैंक ('एनएचबी'), और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ('नैबफिड')।



अध्याय II – संस्थागत ढांचा

ए. बोर्ड की भूमिका

4. बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए एआईएफआई के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां और समीक्षा तंत्र होंगे।

ए.1 बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां

5. एआईएफआई द्वारा तैयार की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों की एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है। इन नीतियों में शामिल किए जाने वाले पहलुओं का विवरण इन निदेशों के संबंधित पैरा में दिया गया है।

- (1) उचित व्यवहार संहिता
- (2) शिकायत निवारण तंत्र
- (3) दंडात्मक प्रभार

नोट: शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि एआईएफआई के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए।

ए.2 बोर्ड द्वारा की जाने वाली समीक्षा

6. उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की नियंत्रक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को नियमित अंतराल पर, जैसा भी उसके द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत की जाएगी।



अध्याय III – ज़िम्मेदार ऋण आचरण

ए. उचित व्यवहार संहिता

ए.1 ऋण और ऋण के प्रसंस्करण के लिए आवेदन प्रपत्रों में प्रकटीकरण

7. एआईएफआई द्वारा ऋण आवेदन प्रपत्रों में प्रसंस्करण के लिए प्रभार / फीस से संबंधित सभी जानकारी प्रकट की जाएगी।

8. एआईएफआई पारदर्शी रूप से उधारकर्ता को निम्नलिखित प्रकट करेगी:

- (1) ऋण आवेदन के प्रसंस्करण के लिए देय फीस / प्रभार के बारे में सभी जानकारी;
- (2) यदि ऋण राशि स्वीकृत / संवितरित नहीं की जाती है तो वापस की जाने वाली फीस की राशि;
- (3) पूर्व-भुगतान विकल्प और प्रभार, यदि कोई हो;
- (4) विलंबित पुनर्भुगतान के लिए दंड, यदि कोई हो;
- (5) निश्चित से अस्थायी दरों पर या इसके विपरीत ऋण स्विच करने के लिए रूपांतरण शुल्क;
- (6) किसी भी ब्याज पुनर्निर्धारण खंड का अस्तित्व; और
- (7) कोई अन्य मामला जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करता हो।

9. ऐसी जानकारी एआईएफआई की वेबसाइट पर सभी श्रेणियों के ऋण उत्पादों के लिए भी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

10. एआईएफआई पारदर्शी तरीके से ऋण आवेदन के प्रसंस्करण / स्वीकृति में शामिल ऐसे सभी प्रभारों सहित 'सभी लागत' का प्रकटन करेगी ताकि ग्राहक वित्त के अन्य स्रोतों के साथ प्रभारों / फीस की तुलना कर सके। एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे प्रभार / फीस गैर-भेदभावपूर्ण हैं।

11. एआईएफआई सभी ऋण आवेदनों की प्राप्ति के लिए पावती प्रदान करेगी जो उस समय सीमा को भी इंगित करेगी जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा।

12. एआईएफआई उचित अवधि के भीतर ऋण आवेदनों का सत्यापन करेगी। यदि अतिरिक्त विवरण / दस्तावेजों की आवश्यकता है, तो वे उधारकर्ताओं को तुरंत सूचित करेगी।

13. एआईएफआई निर्धारित समय के भीतर सभी श्रेणियों के ऋणों के लिए, किसी प्रारम्भिक सीमा के बावजूद, लिखित रूप में मुख्य कारण / कारणों से अवगत कराएगी, जिसके कारण ऋण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया।



ए.2 ऋण मूल्यांकन और नियम / शर्तें

14. एआईएफआई सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट आवेदन का उचित मूल्यांकन किया गया है। एआईएफआई उधारकर्ता की ऋण विश्वसनीयता की समुचित सावधानी के विकल्प के रूप में मार्जिन और सुरक्षा शर्त का उपयोग नहीं करेगी।
15. एआईएफआई उधारकर्ता को उसके नियमों और शर्तों के साथ क्रेडिट सीमा से अवगत कराएगी और उधारकर्ता की, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के साथ दी गयी इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति को रिकॉर्ड पर रखेगी।
16. एआईएफआई और उधारकर्ता के बीच व्यवहार के बाद प्राप्त ऋण सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें और अन्य चेतावनी को लिखित रूप में लाया जाएगा और अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
17. एआईएफआई ऋण की मंजूरी/संवितरण के समय उधारकर्ता को ऋण समझौते की एक प्रति के साथ ऋण समझौते में उद्धृत सभी अनुलग्नकों में से प्रत्येक की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।
18. ऋण समझौता स्पष्ट रूप से उन क्रेडिट सुविधाओं को निर्धारित करेगा जो पूरी तरह से उधारदाताओं के विवेक पर हैं, उदाहरण के लिए, सुविधाओं का अनुमोदन या अस्वीकृति, जैसे कि स्वीकृत सीमा से परे आहरण, विशेष रूप से क्रेडिट स्वीकृति में सहमत होने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जारी किए गए चेक स्वीकार करना, और गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत या मंजूरी की शर्तों का पालन न करने के कारण उधार खाते पर आहरण को अस्वीकार करना। एआईएफआई द्वारा विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया जाएगा कि क्रेडिट सीमा की उचित समीक्षा किए बिना, व्यवसाय में वृद्धि आदि के कारण, उधारकर्ताओं की आगे की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसका नहीं है।
19. सहायता संघ व्यवस्था के तहत उधार देने के मामले में, एआईएफआई समयबद्ध तरीके से प्रस्तावों के मूल्यांकन को पूरा करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित करेगी और उचित समय के भीतर वित्तपोषण पर या अन्यथा उनके निर्णयों को अवगत कराएगी।

ए.3 नियमों और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋण का संवितरण

20. एआईएफआई स्वीकृत ऋणों का, ऐसी स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुरूप, समय पर संवितरण सुनिश्चित करेगी।



21. एआईएफआई ब्याज दरों, सेवा प्रभारों आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगी। एआईएफआई यह भी सुनिश्चित करेगी कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भावी रूप से ही किए जाए।

ए.4 संवितरण के बाद पर्यवेक्षण

22. एआईएफआई द्वारा संवितरण के बाद पर्यवेक्षण, विशेष रूप से ₹2 लाख तक के ऋणों के संबंध में, रचनात्मक दृष्टि से होना चाहिए जिससे किसी भी उधारकर्ता को "ऋणदाता-संबंधित" वास्तविक कठिनाई का सामना करने में मदद हो।

23. करार के तहत भुगतान या निष्पादन वापस लेने / तेज करने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग करने का निर्णय लेने से पहले, एआईएफआई उधारकर्ताओं को ऋण करार में निर्दिष्ट या उचित अवधि के लिए नोटिस देगा, यदि ऋण समझौते में ऐसी कोई शर्त विद्यमान नहीं है।

24. एआईएफआई ऋण का भुगतान या ऋण की वसूली करने पर सभी प्रतिभूतियां मुक्त करेगी, लेकिन यह उधारकर्ताओं के विरुद्ध उसके किसी भी वैध अधिकार या किसी भी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन होगा। यदि समंजन के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ताओं को शेष दावों और उन दस्तावेजों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ इसके बारे में नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत एआईएफआई प्रासंगिक दावे के निपटान / भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को रख सकती है।

ए.5 सामान्य

25. आईएफआई द्वारा उधारकर्ता के मामलों में ऋण स्वीकृति दस्तावेजों दी गई नियम और शर्तों के अलावा अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा (जब तक कि उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट की गई जानकारी के अलावा अन्य कोई नई जानकारी एआईएफआई के ध्यान में नहीं आयी है)।

26. एआईएफआई ऋण देने के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तथापि, यह उधारदाताओं को समाज के कमजोर तबके के लिए बनाई गई क्रेडिट-लिंकड योजना में हिस्सा लेने से नहीं रोकता है।

27. ऋण की वसूली के मामले में, एआईएफआई अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी जैसे कि लगातार उधारकर्ताओं को असमय परेशान करना, ऋणों की वसूली के लिए बल-प्रयोग आदि।

28. उधार खाते के हस्तांतरण के लिए उधारकर्ता से या किसी अन्य ऋणदाता, जो खाते को लेने का प्रस्ताव करता है, से अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, सहमति या अन्यथा अर्थात्, एआईएफआई की आपत्ति, यदि कोई हो, इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।



29. एआईएफआई द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता को वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

बी. ऋण खातों में दंडात्मक प्रभार

30. एआईएफआई, ऋणों पर दंडात्मक प्रभार वसूलने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेगी। ये अनुदेश एआईएफआई द्वारा दी जाने वाली सभी क्रेडिट सुविधाओं पर लागू होंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार ऋण (रुपया / विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण) और संरचित दायित्वों, जो उत्पाद विशिष्ट निदेशों के तहत आते हैं, के साथ ही अन्य विदेशी मुद्रा ऋणों पर भी लागू नहीं होंगे।

(1) यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे 'दंडात्मक प्रभार' माना जाएगा और 'दंडात्मक ब्याज' के रूप में नहीं लगाया जाएगा जिसे दिए गए अग्रिम पर लगने वाली ब्याज दर में जोड़ा जाता है। दंडात्मक प्रभारों का पूंजीकरण नहीं किया जाएगा अर्थात्, ऐसे प्रभारों पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तथापि, यह ऋण खाते में ब्याज की कंपाउंडिंग के लिए सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, एआईएफआई बकाया ब्याज (भुगतान न की गई ईएमआई सहित) पर सुधार की तारीख तक अनुबंधित ब्याज दर पर, न कि दंडात्मक ब्याज दर पर, उधारकर्ताओं को उधार दी गई राशि पर ब्याज (भुगतान न की गई ईएमआई सहित) वसूल कर सकती है।

टिप्पणियाँ:

(i) महत्वपूर्ण नियम और शर्तें, यदि पहले से तय नहीं की गई हैं, तो एआईएफआई की क्रेडिट नीति के अनुसार परिभाषित की जाएंगी और ये नियम और शर्तें ऋण की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भिन्न हो सकती हैं और साथ ही, अपने आकलन के आधार पर एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता के लिए भिन्न हो सकती हैं।

(ii) उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान में चूक भी उधारकर्ता द्वारा ऋण पुनर्भुगतान अनुबंध की महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का एक प्रकार का गैर-अनुपालन है और ऐसे चूक के लिए यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो जुर्माना केवल दंडात्मक प्रभार के रूप में लगाया जाएगा और दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं। ऐसे दंडात्मक प्रभार उचित होंगे और ऋणदाताओं द्वारा केवल उनकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से चूक के तहत राशि पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दंडात्मक प्रभार का कोई पूंजीकरण न हो, अर्थात्, ऐसे प्रभारों पर कोई और ब्याज नहीं लगाया जाएगा।



- (iii) पहले से बकाया दंडात्मक प्रभारों की राशि पर अतिरिक्त / नया दंडात्मक प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iv) बैंक गारंटी लागू करने / एलसी के हस्तांतरण के कारण बनाई गई वित्त पोषित सुविधा के मामले में, एआईएफआई अपनी क्रेडिट हामीदारी नीति के अनुसार संबंधित क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरित राशि पर उचित ब्याज दर ले सकता है। हालांकि, नियत तारीख के भीतर उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान न करने के कारण उस वित्त पोषित सुविधा पर दंड, यदि कोई हो, केवल दंडात्मक शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है और दंडात्मक ब्याज नहीं।
- (v) एआईएफआई दंडात्मक प्रभार पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और स्पष्टीकरणों का पालन करेगी।
- (2) एआईएफआई ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक नहीं जोड़ेगा और इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (3) एआईएफआई द्वारा ऋणों पर दंडात्मक प्रभार या इस प्रकार के प्रभार, चाहे जो भी नाम दिया जाए, के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की जाएगी।
- (4) दंडात्मक प्रभार की मात्रा उचित होनी चाहिए और ऋण अनुबंध के मुख्य नियमों और शर्तों का पालन न करने के अनुपात में होनी चाहिए; साथ ही, किसी विशेष ऋण / उत्पाद श्रेणी के भीतर इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

टिप्पणियाँ:

- (i) ऋण की राशि के आधार पर एक ही उत्पाद श्रेणी के भीतर दंडात्मक प्रभार अलग-अलग हो सकते हैं और एआईएफआई उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के अधीन दंडात्मक प्रभारों की उपयुक्त संरचना अपना सकती है। किसी विशिष्ट ऋण / उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत दंडात्मक प्रभारों की संरचना एकसमान होनी चाहिए, चाहे उधारकर्ता की प्रकृति कुछ भी हो।
- (ii) यद्यपि दंडात्मक प्रभारों के लिए कोई ऊपरी सीमा / कैप निर्धारित नहीं की गई है, एआईएफआई को दंडात्मक प्रभारों पर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दंडात्मक प्रभार लगाने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से क्रेडिट अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे प्रभारों का उपयोग राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।



- (5) 'व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं' को स्वीकृत ऋण के मामले में दंडात्मक प्रभार, महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक प्रभार से अधिक नहीं होगा।
- (6) एआईएफआई द्वारा दंडात्मक प्रभारों की राशि और उनके कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख ग्राहकों के समक्ष, ऋण करार में अग्रिम रूप से किया जाएगा; इसके अतिरिक्त, इन विवरणों को एआईएफआई की वेबसाइट पर 'ब्याज दरें और सेवा शुल्क' शीर्षक के अंतर्गत भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र और ऋण करार में एआईएफआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित दंडात्मक प्रभारों की अनुसूची का संदर्भ प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा।
- (7) जब भी उधारकर्ताओं को ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू दंडात्मक प्रभार की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभार लगाने के किसी भी घटना और उसके कारण को भी सूचित किया जाएगा।
- (8) मौजूदा ऋणों के मामले में, नए दंडात्मक प्रभार व्यवस्था में परिवर्तन अगली समीक्षा या नवीकरण तिथि पर सुनिश्चित किया जाएगा।

सी. ऋण पर पूर्व-भुगतान प्रभार

31. एआईएफआई को **1 जनवरी, 2026 को या उसके बाद** स्वीकृत या नवीनीकृत ऋणों और अग्रिमों (मियादी ऋणों के साथ-साथ मांग ऋणों) पर पूर्व-भुगतान प्रभार लगाने के संबंध में निम्नलिखित निदेशों का पालन करना होगा:

- (1) व्यक्तियों को, सह-बाध्यता के साथ या बिना, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए सभी अस्थायी दर के ऋणों के लिए एआईएफआई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं लगाएगी।
- (2) व्यक्तियों तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया है, को, सह-बाध्यता के साथ या बिना, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए सभी अस्थायी दर के ऋणों के लिए, एआईएफआई कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं लगाएगी।
- (3) उपरोक्त पैरा 31(1) और 31(2) में दिए गए निदेश, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ऋणों के पूर्व-भुगतान के लिए उपयोग किए गए धन के स्रोत के बावजूद और बिना किसी न्यूनतम अवरुद्धता अवधि के लागू होंगे।
- (4) दोहरी / विशेष दर (निश्चित और अस्थायी दर का संयोजन) ऋणों के लिए उपरोक्त निर्देशों की



प्रयोज्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि पूर्व-भुगतान के समय ऋण अस्थायी दर पर है या नहीं।

(5) उपरोक्त पैरा 31(1) और 31(2) में उल्लिखित मामलों के अलावा, पूर्व-भुगतान प्रभार, यदि कोई हो तो, एआईएफआई की अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। हालांकि, मियादी ऋण के मामले में, पूर्व भुगतान प्रभार, यदि एआईएफआई द्वारा लगाया जाता है, तो पूर्व-भुगतान की जा रही राशि के आधार पर लगाया जाएगा। नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के मामले में, नियत तारीख से पहले सुविधा को बंद करने पर पूर्व-भुगतान प्रभार केवल आधिकतम स्वीकृत सीमा से तक की राशि पर लगाया जाएगा।

(6) नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के मामले में, यदि उधारकर्ता ऋण समझौते में निर्धारित अवधि से पहले सुविधा का नवीनीकरण नहीं करने की अपनी मंशा के बारे में एआईएफआई को सूचित करता है, तो कोई पूर्व-भुगतान प्रभार लागू नहीं होगा, बशर्ते कि सुविधा नियत तारीख पर बंद हो जाए।

(7) जहां एआईएफआई के कहने पर पूर्व-भुगतान किया जाता है, एआईएफआई द्वारा कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(8) पूर्व-भुगतान प्रभार की प्रयोज्यता या अन्यथा को स्वीकृति पत्र और ऋण समझौते में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा। एआईएफआई द्वारा ऐसा कोई पूर्व-भुगतान प्रभार नहीं लगाया जाएगा जिसकी जानकारी यहां निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार नहीं दी गई हो।

(9) एआईएफआई ऋणों के पूर्व-भुगतान के समय पूर्वव्यापी रूप से कोई प्रभार / शुल्क नहीं लेगा, जिसे एआईएफआई द्वारा पहले माफ कर दिया गया था।

डी. वसूली एजेंटों को नियुक्त करने वाले एआईएफआई की जिम्मेदारियां

32. एआईएफआई कड़ाई से सुनिश्चित करेगी कि वह या उसके एजेंट द्वारा अपने ऋण वसूली प्रयासों में किसी भी व्यक्ति को डराने-धमकाने या किसी भी प्रकार के मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न का सहारा नहीं लिया जाता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, रेफरी और मित्रों की गोपनीयता में अतिक्रमण करने के इरादे से किए गए कार्य, मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनुचित संदेश भेजना, धमकी भरे और / या गुमनाम कॉल करना, उधारकर्ता को लगातार कॉल करना और / या उधारकर्ता को सुबह 8:00 बजे से पहले और शाम 7:00 बजे के बाद बकाया ऋणों की वसूली के लिए कॉल करना, झूठे और भ्रामक प्रतिनिधित्व करना आदि शामिल हैं।



अध्याय IV – विविध निर्देश

ए. प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2024 का 289) और अमर जैन बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2025 का 49) के मामले में 30 अप्रैल, 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन

33. एआईएफआई का ध्यान प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2024 का 289) और अमर जैन बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 2025 का 49) के मामले में [30 अप्रैल, 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश](#) की ओर आकर्षित किया जाता है। एआईएफआई सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जैसा भी लागू हो, उचित उपाय करेगी।

अध्याय V – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और संरक्षण

34. इन निदेशों के जारी होने के साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि [28 नवंबर, 2025 की तारीख के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही रहेंगे।

35. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या प्रारंभ की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अधिशासित होती रहेगी। इन निरसित सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियां या पावतियां इन निदेशों द्वारा अधिशासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करना निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

- (1) उसके अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;
- (2) उसके अधीन किए गए किसी उल्लंघन से उपगत कोई जुर्माना, जब्ती या दण्ड;
- (3) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वे निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश निरसित नहीं किए गए थे।

बी. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

36. इन निदेशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके हनन के रूप में नहीं होंगे, जो समय-समय पर लागू किए जाते हैं।

सी. व्याख्याएं

37. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के प्रयोज्यता या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि आवश्यक प्रतीत होता है तो, आरबीआई किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक